<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>
<u>पर्यटन अनुभाग</u>
संख्या-52/2023/336/41-2023-127(बजट)/2022
लखनऊ दिनांक 25 जनवरी, 2023

<u>संख्या-22/2022/आई/1675061/41-1002(002)/12/2022-127(बजट)/2022</u>,
<u>दिनांक 13.01.2023</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 7762/6-1-1(1613)/2023, दिनांक 18 जनवरी, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद मथुरा के गोवर्धन में स्थित रंजीत सिंह की छतरी पर फसाड लाइट के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-22/2022/आई/1675061/41-1002(002)/12/2022-127(बजट)/2022, दिनांक 13.01.2023 के पृष्ठांकन के बिन्दु सं0-04 पर अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 13.01.2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- प्रबंध निदेशक उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा।
7- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 6 व 7 की अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**7**, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in